

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ شَيْئُكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Theme

Prohibition of husband wife relationship during

शौहर और बीवी के ताल्लुकात को अय्याम-ए-हैज़ के दौरान ममनूअ

menstruation. Do not misuse oaths taken in the name of Allah. A limitation of four months is imposed on renouncing husband wife relationship. Waiting period for remarriage is three menstruation periods after divorce.	करार दिया गया है। अल्लाह के नाम पर खाई गई कसमों का नाजायज़ इस्तेमाल न करो। शौहर और बीवी के ताल्लुकात तर्क करने के लिए चार माह की हद मुकर्रर की गई है। तलाक़ के बाद दोबारा निकाह के लिए इद्दत की मुद्दत तीन हैज़ मुकर्रर की गई है।
--	---

Tarjumanī

They ask you about menstruation. Tell them: "This is a discomfort, therefore, keep away from women (do not have sexual inter-course) during their menstrual periods and do not approach them until they are clean again. When they have cleansed themselves then you may approach them in the manner Allah has enjoined for you. Surely, Allah loves those who turn to Him in repentance and love those who keep themselves clean. Your wives are your tilth; so go to your tilth when you like. Take care of your future and refrain from the dis-pleasure of Allah. Bear in mind that you shall	पूछते हैं : हैज़ का क्या हुक्म है? कहो : वह एक गन्दगी की हालत है। उसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ, जब तक कि वे पाक-साफ़ न हो जाएँ। फिर जब वे पाक हो जाएँ तो उनके पास जाओ, उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसन्द करता है जो बदी से बाज़ रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं। तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो, अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तक्बिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। ख़ूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। और ऐ नबी, जो तुम्हारी हीदायात को मान लें उन्हें (फलाह व
---	---

meet Him in the Hereafter, and give good news to the believers, Do not make Allah's name as an excuse in your paths against your dealing justly, behaving piously and making peace between people; Allah hears and knows everything. Allah will not hold you accountable for what is in advertent in your oaths, but He will hold you accountable for what you intended in your hearts; Allah is Forgiving, Forbearing. Those who renounce conjugal relationship with their wives on oath, have a limitation of four months. If they reconcile and restore their relationship, surely, Allah is For-giving. Merciful. But, if they decide to divorce them, they may do so, surely, Allah hears and knows everything. Divorced women must keep themselves waiting for three menstrual periods, it is not lawful for them to hide what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the Last Day. In such	सआदत की) खुशखबरी दे दो । अल्लाह के नाम को ऐसी कसमें खाने के लिए इस्तेमाल न करो, जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने-खुदा की भलाई के कामों से बाज़ रहना हो । अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है । जो बेमानी कसमें तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, उनपर अल्लाह गिरिफ्त नहीं करता, मगर जो कसमें तुम सच्चे दिल से खाते हो, उनकी बाज़पुर्स वह ज़रूर करेगा । अल्लाह बहुत दरगुज़र करनेवाला और बुर्दबार है । जो लोग अपनी औरतों से तअल्लुक न रखने की कसम खा बैठते हैं, उनके लिए चार महीने की मुहलत है । अगर उन्होंने रुजुअ कर लिया तो अल्लाह माफ़ करनेवाला और रहीम है । और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है । जिन औरतों को तलक दी गई हो, वे तीन मर्तबा अय्यामे-माहवारी आने तक अपने आपको रोके रखें, और उनके लिए यह जाइज नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहिम में जो कुछ खल्क फ़रमाया हो उसे छिपाएँ । उन्हें हरगिज़ ऐसा न करना चाहिए अगर वे
--	--

cases, their husbands have a right to take them back in that period, if they desire reconciliation. Women have rights, similar to those exercised against them in an equitable manner, although men have a status (degree of responsibility) above them. Allah is Mighty, Wise.	अल्लाह और रोज़े-आखिर पर ईमान रखती हैं उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों, तो वे इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी जौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं औरतों के लिए भी मारुफ़ तरीक़े पर वैसे ही हुक्क हैं जैसे मर्दों के हुक्क उनपर हैं अलबत्ता मर्दों को उनपर एक दर्ज़ा हासिल है और सबपर अल्लाह ग़ालिब इक़तिदार रखनेवाला और हकीम व दाना मौजूद है
Tafsir	